संतकबीरनगर पुलिस

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 19.03.2024***

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 09.03.2024 को वादिनी श्रीमती माया पाण्डेय पत्नी मारकण्डेय पाण्डेय साकिन भीटी खोरिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर द्वारा उनकी बहन शान्ति देवी पत्नी स्व0 रमेश राय साकिन सांखी थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर उम्र करीब 65 वर्ष की दिनांक 07.03.2024 के घर से बस्ती मा0 न्यायालय पैरवी हेतु जाने व वापस न आने पर थाना महुली पर गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी। दिनांक 08.03.2024 को सहजनवा क्षेत्र के सुरगहना बांध रोड पर एक महिला का शव प्राप्त हुआ जिसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पहचान हेतु रखा गया है इस सूचना पर वादिनी माया पाण्डेय उपरोक्त व अन्य परिजनों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया, माया पाण्डेय व उनके रिश्तेदार द्वारा शव की पहचान शांति देवी पत्नी रमेश राय के रूप में की गई तथा दिनांक 12.03.2024 को शव का पोस्टमार्टम तथा परिजनों द्वारा शव का दाह संस्कार कर दिया गया। वादिनी श्रीमती माया पाण्डेय उपरोक्त के तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 15.03.2024 को थाना महुली जनपद संतकबीर नगर पर मु0अ0सं0 93/2024 धारा 302/201/120बी भादवि बनाम पौहारी शरण राय पुत्र परमात्मा राय आदि 04 नफर साकिनान डुमरिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में सम्मिलित 02 अभियुक्तों पुरुषोत्तम तिवारी पुत्र चक्रधर तिवारी व सूर्यदेव राय पुत्र रामपति राय को थाना महुली पुलिस दिनांक 16.03.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया था

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महुली ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में घटना में सम्मिलित 02 वांछित अभियुक्तों 1. विकास राय पुत्र सुभाषचन्द्र राय निवासी डुमरिया 2. पौहारी शरण राय पुत्र परमात्मा राय निवासी डुमरिया थाना धनघटा जनपद

संतकबीरनगर पुलिस

संतकबीरनगर को आज दिनांक 19.03.2024 को नाथनगर तिराहा से 01 अदद मोटर साईकिल, 02 अदद मोबाईल के साथ गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पत्ताः-

1. विकास राय पुत्र सुभाषचन्द्र राय निवासी डुमरिया थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर।
2. पौहारी शरण राय पुत्र परमात्मा राय निवासी डुमरिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- प्रभारी निरीक्षक थाना महुली श्री सतीश कुमार सिंह, वरिष्ठ उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 संघरतन।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मार-पीट के मामलें मे 04 अभियुक्तो को 06-06 माह की परिवीक्षा पर छोड़ा गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 19.03.2024 को ***मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बखिरा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1022/2008 धारा 147, 323, 324, 504, 506, 379 भादवि व 3(1)X एससी एसटी एक्ट के मामलें में अभियुक्त अनिल उर्फ पिन्टू के विरुद्ध धारा 379 भादवि का ही आरोप विरचित किया गया है। अतः अभियुक्त अनिल उर्फ पिन्टू को धारा 379 भादवि व अभियुक्तगण 1. मन्टू पुत्र हीरालाल 2. हीरालाल पुत्र सभापति 3. जयशंकर मिश्र पुत्र सभापति मिश्र 4. विपिन पुत्र रामशंकर मिश्र 5. विनय कुमार पुत्र हीरालाल मिश्र निवासीगण सौरहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा 147, 506, 379 भादवि व 3(1)X एससी एसटी एक्ट में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण 1. मन्टू पुत्र हीरालाल 2. हीरालाल पुत्र सभापति 3. जयशंकर मिश्र पुत्र सभापति मिश्र 4. विपिन पुत्र रामशंकर मिश्र 5. विनय कुमार पुत्र हीरालाल मिश्र निवासीगण सौरहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा 323/149, 324/149, 504 भादवि में दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें निरस्त किया गया तथा जामिनानों को उनके

दायित्वों से उन्मोदित किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. मन्टू पुत्र हीरालाल 2. हीरालाल पुत्र सभापति 3. जयशंकर मिश्र पुत्र सभापति मिश्र 4. विपिन पुत्र रामशंकर मिश्र निवासीगण सौरहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 323/149, 324/149, 504 भादवि के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाये जाने पर उनको अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत 06 माह के सदाचार की परिवीक्षा पर मुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मार-पीट के मामलें मे 04 अभियुक्तो को 06-06 माह की परिवीक्षा पर छोड़ा गया

संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 19.03.2024 को *मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट संतकबीरनगर* द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1022A/2008 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि के मामलें में अभियुक्तगण 1. मुकेश पुत्र रंगीलाल 2. रंगीलाल पुत्र संतू 3. श्रीराम पुत्र फेंकू 4. सुग्रीव पुत्र तुफानी निवासीगण सौरहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा 323/149, 504 भादवि में दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्तगण मुकेश, रंगीलाल, सुग्रीव, श्रीराम को धारा 147, 506 भादवि में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें निरस्त किया गया तथा जामिनानों को उनके दायित्वों से उन्मोदित किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. मुकेश पुत्र रंगीलाल 2. रंगीलाल पुत्र संतू 3. श्रीराम पुत्र फेंकू 4. सुग्रीव पुत्र तुफानी निवासीगण सौरहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 323/149, 504 भादवि के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाये जाने पर उनको अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत 06 माह के सदाचार की परिवीक्षा पर मुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

दबिश के दौरान 17 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में

संतकबीरनगर पुलिस

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा 02 नफर** वारण्टी नाम पता 1. राकेश पुत्र भगवती निवासी गोला बाजार थाना को0खलीलाबाद 2. सूरेश पुत्र भगवती निवासी गोला बाजार थाना को0खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-उ0नि0 श्री मनीष जायसवाल, का0 जनार्दन प्रसाद, का0 अभिषेक गौंड।

***थाना महुली पुलिस* द्वारा 01 नफर** वारण्टी नाम पता रामनयन पुत्र हरदेव प्रसाद निवासी पड़हरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ला, हे0का0 पंकज कुमार राय ।

***थाना बखिरा पुलिस* द्वारा 02 नफर** वारण्टी नाम पता1. लालजी पुत्र रामआसरे निवासी बरडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 2. मुन्नत पुत्र तफज्जुल निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-व0उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री वीर बहादुर यादव, का0 अनुराग गुप्ता,

***थाना मेहदावल पुलिस* द्वारा 01 नफर** वारण्टी नाम पता हरिओम चौबे पुत्र शंकर दयाल चौबे उर्फ दयाल चौबे निवासी चौबे डिहवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव, हे0का0 मोतीलाल यादव, हे0का0 अमित सिंह।

***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा 08 नफर** वारण्टी नाम पता 1.राजेश पुत्र कृष्णानन्द उर्फ मोल्हू पाण्डेय निवासी रसूलपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर 2. रामपाल पुत्र सुखई निवासी महाखरपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर 3. सुबाष बेलदार पुत्र काशी बेलदार निवासी भैसाखूट थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर 4. बलवन्त चौधरी पुत्र सिद्धु प्रसाद सैनी निवासी हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर 5. महेन्द्र पुत्र लालजी निवासी भैंसाखूट थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर 6. धर्मेन्द्र

पुत्र श्याम देव निवासी गायघाट बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर 7. कृपाशंकर गौतम पुत्र रामनरेश निवासी कुदरहा थाना लालगंज जनपद बस्ती 8. गिरजा देवी पत्नी कृपाशंकर निवासी कुदरहा थाना लालगंज जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, उ0नि0 श्री राजेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, उ0नि0 श्री सतीश कुमार मिश्र ।

***थाना दुधारा पुलिस* द्वारा 03 नफर** वारण्टी नाम पता 1. उमाशंकर पुत्र नन्हकू ग्राम केशवापुर 2. उमापति पुत्र रामआसरे निवासी सुकरौली 3. रामसुमेर पुत्र रामदुलारे निवासी सुकरौली थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामनक्षत्र भारती, उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, हे0का0 रामआसरे यादव, का0 दीपक सिंह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनों से 66,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनों से 66,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।